प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ **दिनांक 28 जुलाई, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के सीकरीगंज बेघाट लौहरिया शंकरपुर बघाद मार्ग पर घाघरा नदी के कुम्हरिया घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु व्यपगत धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-1291/सामान्य सेतु-31/2023-24 दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद गोरखपुर के घाघरा नदी के कुम्हरिया घाट पर सेतु निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत कुल धनराशि रू0 500.00 लाख के व्यपगत (लैप्स) हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि के पुनः आवंटन का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 में शासनादेश सं0-615/23-09-2013-26नाबार्ड/2013, दिनांक 05.07.2013 द्वारा नाबार्ड योजना आरआईडीएफ, अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के सीकरीगंज बेघाट लौहरिया शंकरपुर बघाद मार्ग पर घाघरा नदी के कुम्हरिया घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु रू0 17223.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 3444.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के घाघरा नदी के कुम्हरिया घाट पर सेतु निर्माण हेतु शासनादेश सं0-85/2023/512/001-512-23-10-23-42एसए/2022 दिनांक 30.03.2023 द्वारा चालू कार्य मद में अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख जो समयाभाव के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हो गयी है, के सापेक्ष विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा कोषागार के अनाहरण प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में व्यपगत कुल धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) को वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुनः अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	स्वीकृति का शा0 सं0 व दिनांक	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः आवंटन		
							अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**सेतु निगम, गोरखपुर**	जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी/सीकरीगंज बेघाट लौहरिया शंकरपुर बघाद मार्ग पर कुम्हरिया घाट पर सेतु निर्माण	17223.31	शासनादेश सं0-615/ 23-09-2013 -26नाबार्ड/ 2013, दि0 05.07.2013	500.00	500.00	393.95	106.05	500.00
						योगः-	393.95	106.05	500.00

(रूपये पॉच करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाये और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(5) उक्त सेतु निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, क्वालिटी मानीटरिंग प्रमाण पत्र एवं जियो टैगिंग के साथ उनके सुस्पष्ट स्थलीय रंगीन फोटोग्राफस, सक्षम अधिकारी के नाम, पदनाम व हस्ताक्षर सहित शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 मे में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष धनराशि लैप्स हो जाने के प्रकरण में दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,93,95,000 (रुपये तीन करोड़ तिरानबें लाख पन्चानबें हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,06,05,000 (रुपये एक करोड़ छः लाख पॉच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-148/2023/689(1)/001-689-23-10-23-23-10002-002-5-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।

(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।

(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।

(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

(8) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(9) संबंधित कोषाधिकारी।

(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(11) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

(12) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।

(13) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।